



पत्र संख्या-प0 नि0 30-103/2015-2859

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक- 12 अप्रैल, 2016

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन 2016 : मतदान से संबंधित क्षेत्रों में धारा-144 लागू करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिन क्षेत्रों में मतदान कराया जा रहा है उन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान की तिथि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लगा दिया जाय जिसमें हथियार लेकर चलना एवं एक साथ 10 से ज्यादा व्यक्तियों का चलना प्रतिबंधित रहेगा तथा उक्त धारा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

2. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

जापसंद:- 696 /पं. बि.नो.सं.- 191/4/2016 सचिव।

प्रतिनिधि:- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/सभी जिलों के वरीय पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी/सभी अड्डाडल पदाधिकारी सभी निर्वाचन पदाधिकारी-सह-पं. वि.पं.सं./सभी निर्वाचन पदाधिकारी/सभी जिलों के मुख्यार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि- जिला मुख्यालय विभाग जिला पंचायत/सचिव।
सं. मुंगेर के मुख्यार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।
18/4/16 मुंगेर